# ग्रेटर नौएडा औद्योगिक विकास प्राधिकरण

भूखण्ड सं0–1, सैक्टर नॉलेज पार्क–4, ग्रेटर नौएडा सिटी,
जनपद गौतम बुद्धनगर (उ0प्र0)

पत्रॉकः अ0मु0का0अ0(डी) / स्वा0वि0 / 2020 / 586 / FTS-52920 दिनॉक 4 / 09 / 2020

## कार्यालय आदेश

ग्रेटर नौएडा औद्योगिक विकास प्राधिकरण की 118वीं बोर्ड बैठक दि0 04.08.2020 में मद संख्या–118 / 19 में लिये गये निर्णय के अनुपालन में निम्न कार्यवाही की जायेगी–

1. ठोस अपशिष्ट प्रबन्धन नीति–2016 के नियम सं0–15 के उपनियम (zf) के क्रम में प्राधिकरण क्षेत्र में ठोस अपशिष्ट प्रबन्धन से सम्बन्धित की जाने वाली समस्त कार्यवाही, इन नियमों का उल्लंघन करने वाले उल्लंघनकर्ताओं पर आरोपित किये जाने वाले अर्थदण्ड के प्राविधान एवं बल्क वेस्ट जनरेटरों के द्वारा किये जा रहे अपशिष्ट प्रबन्धन के उपरान्त शेष बचे अपशिष्ट को उठाये जाने एवं उसके परिवहन हेतु उन समस्त बल्क वेस्ट जनरेटरों से लिये जाने वाले उपभोग शुल्क को समायोजित किया जाना है। (पेज–1 से पेज–20 तक)

2. कोरोना वायरस (कोविड–19) महामारी से बचाव व नियंत्रण हेतु "सार्वजनिक स्थानों पर पान, गुटखा, तम्बाकू आदि थूकना सख्त मना है उपर्युक्त निर्देश के उल्लंघन के लिए दोषी व्यक्तियों को प्रथम बार में रू0 500 / – (रूपये पॉच सौ मात्र) एवं द्वितीय बार में रू0 1000 / – (रूपये एक हजार मात्र) के जुर्माने से दण्डित किया जायेगा।"

मा0 बोर्ड द्वारा किये गये निर्णय के अनुपालन में प्रबन्धक / सहायक प्रबन्धक के साथ सैनीटरी इंस्पेक्टर एवं इनके वरिष्ठ स्तर के अधिकारियों को नामित किया जाता है कि वे अपने–अपने क्षेत्राधिकार में सोलिड वेस्ट मैनेजमेण्ट प्रबन्धन नीति–2016 का उल्लंघन करने वाले अथवा सार्वजनिक स्थानों पर थूकने वाले व्यक्तियों पर जुर्माना आरोपित करेंगे।

उक्त आदेश तत्काल प्रभावी होंगे।

संलग्नकः **यथोपरि।**

04/9/2020

**दीप चन्द्र**
अपर मुख्य कार्यपालक अधिकारी

**प्रतिलिपिः**

- स्टाफ आफीसर को, मुख्य कार्यपालक अधिकारी महोदय के सादर संज्ञानार्थ।
- विशेष कार्याधिकारी (एस.एस.) महोदय को सूचनार्थ।
- महाप्रबन्धक (परि0–एस.एस. / के.) को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु।
- उप महाप्रबन्धक (स्वास्थ्य) को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु।
- प्रभारी वरि0 प्रबन्धक (स्वास्थ्य) को आवश्यक कार्यवाही हेतु।
- प्रभारी (सिस्टम) को प्राधिकरण की वेबसाईट पर अपलोड किये जाने हेतु प्रेषित।

अपर मुख्य कार्यपालक अधिकारी